RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक १३] **बुधवार, एप्रिल ६, २०१६/चैत्र १७, शके १९३८** **[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक १५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ५ अप्रैल, २०१६ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :–

L. A. BILL No. XV OF 2016.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA
STAMP ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १५ सन् २०१६।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; **इसलिए**, भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

सन् १९५८ का ६०।

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाये ।

सन् १९५८ का महा. ६० की धारा ७० में संशोधन।

सन् १९५८ का ६०।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७० की, उप-धारा (२), अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५८ का महा. ६० की अनुसूची एक में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की **अनुसूची एक** के अनुच्छेद १ के, खंड (१) में,–

(एक) उप-खंड (ग) के स्तंभ (१) में, " और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(दोन) उप-खंड (घ) के स्थान में, निम्न उप-खंड, रखे जायेंगे, अर्थात् :–

" (घ) १०,००० रुपयों से अधिक किंतु, १०,००,००० रुपयों से कम न हो ; तथा	पचास रुपये।
(ड़) १०,००,००० रुपये और से अधिक	सौ रुपये।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, (सन् १९५८ का ६०) की धारा ७० की उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि, इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क या किये जाने वाले भत्ते की रकम अभिनिर्धारित करने में, लिखत के मामले में, जिसके बारे में शुल्क एक सौ रुपये से अधिक देय है, सौ रुपये का कोई भी भाग, पचास रुपये के समान या अधिक है, तो अगले सौ रुपये पूर्णांकित गिना जायेगा तथा पचास रुपये से कम भाग हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

२. चूँकि उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की निश्चित रकम के भुगतान की सुविधा, सरकारी प्राप्ति लेखाकरण प्रणाली (जी. आर. ए. एस.) (आभासी कोषागार) के ज़रिए, विद्युतीय ढंग द्वारा उपलब्ध है। जो यह सुनिश्चित किया गया है कि निश्चित रकम अदा की है साथ ही साथ उक्त सुविधा उपलब्ध की है। नागरिकों द्वारा धारा ७० की, उक्त उप-धारा (२) अपमार्जित करना इष्टकर समझा गया है।

३. उक्त अधिनियम की **अनुसूची एक** के अनुच्छेद १ के, खंड (१) में भी यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है, यह विनिर्दिष्ट करने की दृष्टि से, ऋण की अभिस्वीकृति की लिखत पर, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ऐसे ऋण की रकम या मूल्य दस हजार रुपये से अधिक है किन्तु दस लाख रुपयों से कम है तो, पचास रुपये किया जायेगा और ऐसे ऋण की रकम या मूल्य के मामले में दस लाख रुपये और अधिक है तो ऐसा स्टाम्प शुल्क एक सौ रुपये होगा।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ३१ मार्च, २०१६।

एकनाथराव खडसे,
राजस्व मंत्री ।

वित्तीय ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) की धारा ७० में और **अनुसुची एक** का अनुच्छेद एक में संशोधन करने का प्रस्ताव है। विधेयक का खंड २, ऋण की अभिस्वीकृति की लिखत पर स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है। तथापि, प्रस्तुत विधेयक के राज्य विधान मंडल के अधिनियम के रुप में अधिनियमित होने पर राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती व्यय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, २०१६ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ५ अप्रैल, २०१६।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.